संख्या-1095/18-4-2018-18(विविध)/17टी0सी0-।।।

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ)
उ0प्र0, लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 06 नवम्बर,2018

विषय-'एक जनपद एक उत्पाद' योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना'' प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/76/ओ०डी०ओ०पी०सी०एफ०सी०/2018-19, दिनांक 20-9-2018 तथा पत्र संख्या-264 दिनांक15-10-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2/2018/123/18-4-2018-18(विविध)17टी0सी0, दिनांक 25.01.2018 द्वारा प्रारम्भ की गयी 'एक जनपद एक उत्पाद' योजनान्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयवों यथा कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण तथा पैकेजिंग, आदि से सम्बन्धित सुविधाओं के विकास हेतु 'सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। योजनान्तर्गत जनपद हेतु चिन्हित किये गये उत्पादों से सम्बन्धित निम्नलिखित क्रिया-कलापों हेतु उल्लिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जायेगी :-

(1) टेस्टिंग लैब
(2) डिजाईन डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर
(3) तकनीक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र
(4) उत्पाद प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र
(5) रॉ-मैटिरियल बैंक/कामन रिसोर्स सेन्टर
(6) कामन प्रोडक्शन/प्रोसेसिंग सेन्टर
(7) कामन लाजिस्टिक्स सेन्टर
(8) सूचना संग्रह, विश्लेषण एवं प्रसारण केन्द्र
(9) पैकेजिंग, लेबलिंग एवं बारकोडिंग सुविधाएं
(10) सम्बन्धित जनपद हेतु चयनित उत्पाद के विकास हेतु नोडल संस्था (ओ.डी.ओ.पी प्रकोष्ठ, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश) द्वारा करायी गयी डायग्नोस्टिक स्टडी में संस्तुत की गयी अन्य अवस्थापना सुविधायें, जो कि Missing Link of Value chain से सम्बन्धित हों।

2- योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव, इस प्रयोजन हेतु विशिष्ट रूप से गठित एस.पी.वी.(Special Purpose Vehicle) द्वारा किया जायेगा। एस.पी.वी. स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सेवी संस्थाएं, प्रोडयूशर कम्पनी, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, लिमिटेड कम्पनी अथवा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर आदि के स्वरूप में हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त एस.पी.वी. को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण की जानी अनिवार्य होंगीं:-

(2.1) संस्था में न्यूनतम 20 सदस्य होने चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2.2) कुल सदस्यों में न्यूनतम् दो तिहाई सदस्य ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद से सम्बन्धित होने चाहिए।

(2.3) संस्था सक्षम पंजीयन प्राधिकारी के यहॉ पंजीकृत होनी चाहिए।

(2.4) संस्था के संविधान में सम्बन्धित उत्पाद से जुड़े हुए हित धारकों तथा राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल करने के सुस्पष्ट प्राविधान होने चाहिए।

(2.5) संस्था के किसी भी सदस्य के पास संस्था के कुल शेयरों में से 10 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं होने चाहिए।

(2.6) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव का दायित्व सम्बन्धित एस.पी.वी. का होगा तथा इनके संचालन, प्रबन्धन एवं रख-रखाव पर आने वाले किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय इस योजनान्तर्गत वहन नहीं किये जायेंगे।

3. एक जनपद-एक उत्पाद योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC)प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु अधिकतम रू.15.00 करोड़ तक की परियोजनाएं ली जा सकेंगी जिसमें न्यूनतम 10 प्रतिशत एस.पी.वी. द्वारा वहन की जायेगी तथा शेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा सकेगी। सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार का अंशदान परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

4. योजनान्तर्गत धनराशि रू. 15.00 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं भी ली जा सकेंगी, परन्तु ऐसी परियोजनाओं में राज्यांश के रूप में वहन की जाने वाली धनराशि अधिकतम रू. 12.75 करोड़ अथवा परियोजना लागत में से भूमि की लागत को कम करने के उपरान्त अवशेष धनराशि में से, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी।

5. केन्द्र एवं राज्य सरकार से पूर्व से स्वीकृत समान प्रकृति की ऐसी परियोजनाओं,जो धनाभाव के औचित्य पूर्ण कारणों से जनोपयोगी नहीं हो पा रही हैं, को मूल स्वीकृत परियोजना के अवयवों तक पूर्ण करने हेतु भी इस योजना से धनराशि स्वीकृत की जा सकती है। इसके लिये उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। ऐसी परियोजनाओं में भी एस.पी.वी. का अंश किसी भी दशा में उपर्युक्त प्रस्तर-3 में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

6. योजनान्तर्गत आच्छादित उत्पादों से सम्बन्धित प्रस्तर-1 में उल्लिखित क्रिया-कलापों हेतु यदि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे क्लस्टर विकास योजना आदि के अन्तर्गत वित्त पोषण अनुमन्य है, तो सम्बन्धित योजना में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, जहॉ कहीं आवश्यक होगा, इस योजना से राज्यांश के रूप में वित्त पोषण/अतिरिक्त वित्त पोषण case to case basis पर करते हुए अधिकाधिक संख्या में परियोजनाएं केन्द्र सरकार से वित्त पोषित कराने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिये उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में राज्यांश केन्द्रांश से अधिक नहीं होगा।

7. योजना के उद्देश्यों के अनुरूप यदि जनपद हेतु चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग या उससे सम्बन्धित भारत सरकार के किसी अन्य मन्त्रालय की योजनाओं से सम्बन्धित हैं तो इन उत्पादों से सम्बन्धित सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना सम्बन्धित विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अपनी सुसंगत विभागीय अथवा भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत की जायेगी। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु सम्बन्धित विभाग में या भारत सरकार के मंत्रालय में कोई योजना न होने की स्थिति में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु वित्त पोषण "एक जनपद-एक उत्पाद" योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) प्रोत्साहन योजनान्तर्गत किया जा सकेगा।

8. परियोजना हेतु समुचित, विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उपयुक्त तथा भार एवं विवाद रहित भूमि उपलब्ध कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित एस.पी.वी. का होगा। परियोजना की स्थापना हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि या तो एस.पी.वी. के स्वामित्वाधीन होगी अथवा न्यूनतम 15 वर्षो हेतु लीज पर भी ली जा सकेगी।

9. यद्यपि भूमि की लागत/लीज रेन्ट को परियोजना लागत में शामिल किया जायेगा परन्तु परियोजना हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि की लागत अथवा एस.पी.वी. अंशदान के रूप में निर्धारित धनराशि में से जो भी अधिक हो, को कम करने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि का वित्त पोषण राज्यांश के रूप में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. परियोजना हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि अथवा भवन के मूल्य की गणना राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं, विभागों, वित्तीय संस्थानों अथवा सार्वजनिक बैंकों द्वारा की जायेगी।
11. लीज पर ली गयी भूमि की दशा में अधिकतम 15 वर्षो के लीज रेन्ट को परियोजना लागत में शामिल किया जायेगा। लीज रेन्ट हेतु अनुमन्य धनराशि की गणना हेतु उपर्युक्त प्रस्तर-10 में वर्णित संस्थाएं अधिकृत होंगी।
12. परियोजना लागत में भूमि की लागत किसी भी दशा में 25 प्रतिशत से अधिक आंकलित नहीं की जायेगी। रू.15.00 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं में भूमि की अनुमन्य लागत की गणना कुल परियोजना लागत रू. 15.00 करोड़ को आधार मानते हुए ही की जायेगी। भूमि की लागत में उक्त सीमा से अधिक का व्यय भार एस.पी.वी. द्वारा वहन किया जायेगा।
13. एस.पी.वी. द्वारा भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में न्यूनतम 15 वर्षों हेतु बन्धक रखना होगा।
14. सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्धन हेतु, प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित तथा नोडल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए पात्र संस्थाओं से अभिरूचि ज्ञापन (Expression of interest-EOI) आमंत्रित किये जायेंगे।
15. पात्र संस्थाओं द्वारा अभिरूचि ज्ञापन (Expression of interest-EOI) अवधारणात्मक टिप्पणी (Concept Note) के साथ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में जमा किये जायेंगे।
16. योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले अभिरूचि ज्ञापनों (Expression of interest-EOI) का परीक्षण/स्क्रीनिंग शासनादेश संख्या 506/18-4-2018-18(विविध)/ 17टीसी, दिनांक 23 मई 2018 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी एवं उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों को अपनी संस्तुति सहित नोडल संस्था (उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय-ओडीओपी प्रकोष्ठ) को उपलब्ध कराये जायेंगे। उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु परियोजना की लागत, वर्तमान में कार्यरत इकाईयों या व्यक्तियों की संख्या, परिणामी लाभ (outcomes) यथा उत्पादन एव उत्पादकता में वृद्धि] इकाईयों की संख्या वृद्धि एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन आदि सूचकांकों को संज्ञान में रखकर देखा जाए कि परियोजना पर प्रस्तावित व्यय वास्तव में जनहित में होगा।
17. जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के साथ प्राप्त होने वाले समस्त अभिरूचि ज्ञापन (Expression of interest- EOI) नोडल संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर-16में उल्लिखित शासनादेश द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।
18. उपयुक्त पाये गये रू0 10.00 करोड़ तक की परियोजना लागत वाले अभिरूचि ज्ञापनों (Expression of interest-EOI) हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति (In Principle Sanction) राज्य स्तरीय समिति द्वारा एवं रू0 10.00 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत वाले अभिरूचि ज्ञापनों (Expression of interest-EOI) हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रस्तर-16 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्गत की जायेगी।
19. सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु डी.पी.आर. तैयार कराने का कार्य नोडल संस्था द्वारा किया जायेगा तथा इस हेतु आवश्यकतानुसार कन्सल्टेंट/विशेषज्ञों को आबद्ध/इम्पैनल्ड किया जायेगा।
20. सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत होने के अधिकतम तीन माह के अन्दर एस.पी.वी. द्वारा नोडल संस्था के विशेषज्ञ दल के सहयोग से परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) तैयार कर प्रस्तुत कर दी जायेगी।
21. प्राप्त समस्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नोडल संस्था द्वारा विशेषज्ञ संस्थाओं से मूल्यांकित कराये जायेंगें। इन विशेषज्ञ संस्था/संस्थाओं का निर्धारण/ चिन्हांकन एवं इस हेतु फीस का निर्धारण राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। इन परियोजनाओं के मूल्यांकन पर आने वाले समस्त व्यय परियोजना की लागत में सम्मिलित माने जाऐंगे तथा राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेगे, जिसे बाद में राज्यांश के रूप में देय धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा।
22. ऐसी परियोजनाएं जिनमें सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भवन आदि का निर्माण कार्य (Civil Work) भी प्रस्तावित है, उन परियोजनाओं में सम्मिलित निर्माण कार्य से सम्बन्धित आगणन का मूल्यांकन सक्षम संस्था (पी.एफ.ए.डी., पी.डब्लू.डी आदि) से भी कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23. नोडल संस्था द्वारा विशेषज्ञ संस्थाओं से मूल्यांकित कराये गये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन आख्या के साथ राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
24. धनराशि रु0 10.00 करोड़ तक की परियोजनाओं का अंन्तिम अनुमोदन (Final Approval) 'राज्य स्तरीय समिति द्वारा तथा रु0 10.00 करोड़ से अधिक धनराशि की परियोजनाओं का अनुमोदन उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
25. राज्य स्तरीय समिति एवं उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति सूक्ष्म] लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग] उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत की जायेगी।
26. सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को परियोजनाकी कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जायेगा जो कि अवमुक्त धनराशि के सदुपयोग] सृजित की जा रही अवस्थापना सुविधाओं की गुणवत्ता तथा परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन आदि के लिए उत्तरदायी होंगें।
27. परियोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र एवं एस.पी.वी. के मध्य एक द्वि-पक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। परियोजना का क्रियान्वयन अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। द्वि-पक्षीय अनुबंध में यहाँ स्पष्ट किया जायेगा कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी रूप में सी0एफ0सी0 के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा अपितु उक्त सदस्य का मुख्य कार्य शासकीय धन का सदुपयोग सुनिश्चित करना एवं अनुबंध के प्रतिबंधों एवं प्राविधानों से विचलन की स्थिति उत्पन्न न होने देना है।
28. परियोजना की स्थापना का कार्य डी.पी.आर. में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा जिसकी अधिकतम अवधि वित्तीय स्वीकृति से 02 वर्ष होगी।
29. परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त निजी अंशदान के रूप में प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि का विनियोग कर लिये जाने के पश्चात ही योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का सदुपयोग किया जायेगा।
30. परियोजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में दी जाने वाली धनराशि तीन किश्तों में अवमुक्त की जायेगी। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में यथा संभव चालीस, तीस एवं तीस प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित कर लेने पर द्वितीय किश्त तथा प्रथम व द्वितीय किश्त की कुल धनराशि का 75 प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित कर लेने पर तृतीय किश्त अवमुक्त की जा सकेगी। द्विपक्षीय अनुबंध की शर्त के अधीन ही सदुपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
31. सृजित अवस्थापना सुविधाओं के उपयोग के बदले उपयोग कर्ताओं से लिये जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क का युक्तियुक्त निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि इससे उपयोग कर्ताओं पर अनावश्यक व्यय भार डाल कर इसे अत्यधिक लाभांश कमाने का माध्यम न बनाया जाए अपितु CFC का दीर्घकालीन संचालन एवं रख-रखाव सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। CFC का संचालन इस प्रकार किया जाए कि सभी उपयोगकर्ताओं को बिना किसी भेद-भाव के समान रूप से अवसर उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार एस0पी0वी0 से इतर गैर सदस्यों द्वारा भी सी0एफ0सी0 की सुविधाओं का उपयोग प्रयोक्ता शुल्क संबंधी बगैर किसी भेदभाव किया जा सकेगा।
32. प्रस्तर-6 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़ते हुए, ऐसी परियोजनाएं अथवापरियोजनाओं में शामिल ऐसे अवयव (Component) जिनके लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त की जा चुकी है, का इस योजनान्तर्गत वित्त पोषण अनुमन्य नहीं होगा।
33. योजनान्तर्गत राज्यांश एवं निजी अंशदान के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में परियोजना विशेष हेतु एक अलग खाता खोलकर रखी जायेगी तथा खाते में अर्जित कुल ब्याज परियोजना की लागत का अंश माना जाएगा। राज्यांश की द्वितीय एवं तृतीय किश्त स्वीकृत करते समय अर्जित किये जा चुके ब्याज को उस किश्त में समायोजित कर लिया जाएगा। राज्य सरकार का अंशदान उक्त खाते में प्राप्त होने के 03 माह से अधिक की अवधि तक अप्रयुक्त नहीं रहना चाहिए।
34. योजनान्तर्गत होने वाला व्यय 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

35. एस0पी0वी0 द्वारा सी0एफ0सी0 के सफल संचालन सम्बन्धी समस्त अवयवोंयथा-स्थापित मशीन/टूल्स पर ऑपरेशनल व्यय, विद्युत पर व्यय, स्टाफ पर व्यय, सी0एफ0सी0 के अनुरक्षण पर व्यय तथा अन्य इनपुट कास्ट को संज्ञानमें लेते हुए सदस्यों एवं गैर सदस्यों हेतु यूजर चार्जेज का युक्तियुक्त निर्धारण एस0पी0वी0 द्वारा प्रस्तावित योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा। यूजर चार्जेज से सृजित Revenue से ही सी0एफ0सी0 का संचालन किया जायेगा। एस0पी0वी0 में सदस्य के रूप में नामित उपायुक्त उद्योग का विशेषकर यह दायित्व होगा कि एस0पी0वी0 द्वारा यूजर चार्जेज के निर्धारण में सदस्यों एवं गैर सदस्यों में अंतर किया जायेगा तथा समस्त स्टेक होल्डर्स के विकास का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

36. SPV self sustaining model के आधार पर CFC का संचालन करेगी। CFC के संचालन में सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

37. परियोजनान्तर्गत सृजित समस्त परिसम्पत्तियॉं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन होंगी तथा इनका किसी भी रूप में विक्रय, लीज आदि शर्तो में परिवर्तन राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। सृजित परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी एस.पी.वी. की होगी।

38. 'एक जनपद एक उत्पाद' योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतुसामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना के सम्बंध में किसी प्राविधान का संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण मा0 मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

कृपया, उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या- 1095/18-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
5. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
6. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0 लखनऊ ।
7. अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, (ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ) निर्यात भवन लखनऊ ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उ0प्र0 ।
9.समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0 ।
10.गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।